जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 43 संख्याः203 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 17 फरवरी, 2022 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रू.

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अधिकृत रुप से कोआला को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया है। जंगलों की कटाई और जंगलों में आग लगने की वजह से इनकी आबादी निरंतर घट रही है। राष्ट्रीय कानून के तहत ''संकटग्रस्त'' का दर्जा मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि कोआला के संरक्षण के लिए तुरंत ध्यान देने की जरुरत है। सन् 2012 में कोआला को ''वल्नरेबल'' वर्ग में रखा गया था लेकिन उसके बाद से इसकी स्थिति निरंतर बिगड़ती गई, इससे स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकारें इसके संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाईं। थ्रैटन्ड स्पीशीज़ कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से सिफारिश की थी कि क्वीन्सलैण्ड, न्यूसाउथवेल्स और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी के कोआला समूहों के ''कंज़र्वेशन स्टेटस'' को अपग्रेड किया जाए। नैशनल लॉ में सूचीकरण का स्टेटस इस बात को स्वीकार करता है कि कोआला की स्थिति पर ध्यान देना और अधिक ''अर्जेन्ट'' हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री सूसन ली ने कहा कि, सरकार ने कोआला को एन्डेन्जर्ड जीवों की लिस्ट में शामिल करने के अलावा, लम्बे समय से लम्बित पड़ा नैशनल रिकवरी प्लान भी अपनाया है। पर्यावरण समूह लम्बे समय से मांग कर रहे थे कि कोआला का संरक्षण स्टेटस अपग्रेड किया जाए। ह्यूमन सोसायटी इन्टरनैशन, डब्ल्यु.डब्ल्यु.एफ. ऑस्ट्रेलिया तथा इन्टरनैशनल फंड फॉर एनिमल वैलफेयर ने इसे एन्डेन्जर्ड जानवरों की सूची में डालने की मांग की थी। ''एन्डेन्जर्ड'' दर्जा मिलने से अब कोआला को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और एक बार जब रिकवरी प्लान अपना लिया जाएगा तो सरकार के मंत्री ऐसे निर्णय नहीं ले पाएंगे जिनसे कोआला को खतरा हो। इसके लिए वो अब कानूनन बाध्य होंगे। सन् 2020 में एक संसदीय जांच में पाया गया था कि, अगर सरकार ने कोआला के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया तो 2050 तक ये लुप्त हो सकते हैं, अगर तुरंत कदम उठाए गए तो इन्हें बचाया जा सकता है।

भाजपा, पहले दो चरणों के दुष्परिणाम की भरपायी करना चाहती है, तीसरे राउण्ड में

पर, पिछले विधानसभा चुनाव की सफलता दोहराना आसान नहीं भाजपा के लिये, आगामी तीसरे राउण्ड के मतदान में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 फरवरी। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों के लिये होने वाले मतदान के तृतीय चरण से चार दिन पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुये, एक बार फिर पूर्ववर्ती सपा सरकार के ''गुंडा राज'' पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में एक सोशल मीडिया अभियान भी छेड़ा गया है, जिसमें विपक्षी दलों की ''जातिवादी राजनीति'' के कारण, ''हिन्दू धर्म के लिये खतरे'' पैदा होने की आशंकाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

जहाँ आम धारणा यह है कि भाजपा ने जाट-बहुल प्रथम चरण में तथा मुस्लिम बहुल दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, वहीं तीसरा चरण सत्तारूढ़ दल को उन नुकसानों की भरपाई करने का अवसर प्रदान करेगा। वर्ष 2017 के चुनावों में, भाजपा ने गैर-यादव ओ.बी.सी. को अपने पक्ष में लामबंद करके, इस क्षेत्र 59 में से 49 सीटें जीती थीं। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके चलते उसी रणनीति के पूर्व की तरह सफल होने की संभावना इस बार नहीं है। एक कारण तो यह है कि गैर-यादव ओ.बी.सी. जैसे शाक्य, सैनी, पाल या कुशवाहा 2017 की तरह, भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यह वही क्षेत्र है, जहाँ महान दल के केशव प्रसाद मौर्य, जो सपा के गठबंधन-पार्टनर हैं, का काफी अच्छा प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ ही चुके हैं। राजा रामपाल, जो एक महत्वपूर्ण कुर्मी नेता हैं, भी इस बार सपा का समर्थन कर रहे हैं। संक्षेप में, भाजपा के उस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले, जिसे पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनावों के अलावा, 2014 तथा 2019 के लोक सभा चुनावों में सफलतापूर्वक काम में लिया था, के निष्फल रहने का खतरा मँडरा रहा है।

इस तथ्य के बावजूद कि इस क्षेत्र की 32 विधानसभा सीटों पर, यादव दमदार स्थिति में हैं, सपा 2017 के चुनाव में यहाँ बिल्कुल साफ हो गई थी क्योंकि यादव के कई वर्ग या तो उदासीन

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- पिछले चुनाव में इस क्षेत्र की 59 सीटों में से 49 सीटें भाजपा जीती थी। इसका प्रमुख कारण था, भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के अंतर्गत गैर यादव ओ.बी.सी. को अपने पक्ष में संगठित कर लिया था।
- पर, इस बार गैर यादव ओ.बी.सी. भाजपा के पक्ष में नज़र नहीं आते। इस बार शाक्य, मौर्य, सैनी, पाल व कुशवाहा, भाजपा से विमुख हैं।
- पिछले चुनाव में यादव वोट भी विभाजित था, कुछ तो निष्क्रिय होकर घर बैठे रहे और कुछ भाजपा के पक्ष में आये थे। और अखिलेश भी परिवार की कलह में फंसा हुए थे, पर, अब पारिवारिक विवादों से निपट कर अखिलेख यादवों को एक छत्र नेता के रूप में स्वीकार हो गए हैं, तथा यादव भी सत्ता से बाहर रहने के बाद, अखिलेश के पक्ष में पूरी तरह एकजुट हुए हैं।
- तीसरे चरण में भी भाजपा सपा के ''गुण्डाराज'' व ''हिन्दू धर्म'' संकट का नारा दे रही है।

आधार कार्ड कोई कवच नहीं, सरकारी योजनाओं का पैसा लीक नहीं होने के लिये

पी.एम. किसान सम्मान निधि के छोटे व मार्जिनल किसानों को दी जाने वाली चौथाई राशि गलत जगह पहुंच गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 फरवरी। मोदी सरकार का दावा है कि इसके कार्यक्रमों में फंड का कोई लीकेज नहीं हो रहा है क्योंकि कार्यक्रम आधार से ''लिंक्ड'' हैं, लेकिन इसके विपरीत सरकार ने दिसम्बर 2016 में शुरु हुई आधार पर आधारित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 58.08 लाख अपात्र किसानों को 2,589 करोड़ रू. से ज्यादा का भुगतान किया है। इस योजना में छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रू. तीन किश्तों में 6,000 रू. का भुगतान किया जाता है।

सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब से पता चला है कि हालांकि यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाती है पर 24 प्रतिशत (13.73 लाख) लाभार्थी आयकर दाता है। यह जानकारी तब सामने आई है जब मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम किश्त शीघ्र ही जारी होने वाली है। सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं कि पैसा गलत हाथों में कैसे जा रहा है। यह जवाब इस माह के आरम्भ में केंद्र सरकार के कृषि और परिवार कल्याण विभाग से मिला है।

पी.एम. किसान वैबसाइट में साफ लिखा है कि ऐसे किसान परिवार जिनके परिवार में एक भी आयकर दाता है वे इस योजना के तहत लाभार्थी बनने के पात्र नहीं हैं।

फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में सबसे 14.9 लाख अपात्र किसानों की जानकारी मिली जिनसे 98 करोड़ रू. वसूले जाने हैं। दूसरे स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से असम है जहां 13.35 लाख अपात्र किसान हैं जिनसे 768.3 करोड़ रू. वसूले जाने हैं। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है।

आर.टी.आई. कार्यकर्ता अविनंदन जना, जिन्होंने पी.एम. किसान निधि योजना के आकंडे जुटाए थे, का कहना है कि सरकार को आयकर दाताओं से 1,067 करोड़ रू. वसूलने है, इनमें से अधिकांश की आय का जरिया व्यापार है वे किसान नहीं हैं। उनका दावा है कि लिस्ट में फर्जी लाभार्थियों के नाम जिला प्रशासन की जानकारी से जोड़े गए थे। योजना के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2589 करोड़ रू. की यह सहायता राशि, उन लोगों के हाथ में पहुंची, जिन्हें यह सहायता लेने का कोई अधिकार ही नहीं था।
- स्कीम के अनुसार हरेक निर्धन व कमजोर किसान को 6000 रू. की राशि प्रतिवर्ष दे रही है सरकार।
- शर्त है कि, यह राशि केवल उन किसानों को मिलेगी, जो इन्कम टैक्स नहीं देते हैं तथा आधार कार्ड से सरकार यह जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेती है कि, कौन इन्कम टैक्स देता है और कौन नहीं।
- आधार कार्ड वैरिफिकेशन के बावजूद इस सहायता राशि का इतना बड़ा अंश उन लोगों को कैसे मिला, जो यह सहायता पाने के हकदार ही नहीं थे।

शादी निरस्त

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक विवाह को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि वह महिला 12 साल से अपने पति और ससुराल वालों के साथ नहीं रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह महिला वैवाहिक रिश्ते को बहाल नहीं करना चाहती है तो वह उस पर दबाव डालना नहीं चाहता है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका की बैंच ने कहा कि महिला ने अपने वैवाहिक रिश्ते को दोबारा शुरु करने की कोशिश नहीं की ना ही उसने अपने वैवाहिक अधिकार पर दावे के लिये कोई याचिका ही दायर की है। वह गुवाहाटी के कॉलेज में काम करती है और उसका पति असम के ही तेजपुर जिले में व्यापार करता है। वह सिर्फ एक बार दिसम्बर 2009 में ही ससुराल गई

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला की शादी निरस्त की, जो गत बारह साल से अपने ससुराल में रहने में कोई रूचि नहीं दिखा रही।

सी.बी.आई. को भय है, बैंक स्कैम में लिप्त ''स्कैमस्टर'' विदेश भागने में सफल हो जाएंगे

बैंकों ने प्र.मंत्री को चिट्ठी लिखकर आशंका व्यक्त की कि, गैर भाजपा सरकारों के असहयोग के कारण सी.बी.आई. इन अपराधियों के खिलाफ जांच करने में कुण्ठित हो रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 फरवरी। सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सावधान कर दिया है कि वे गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें, कि इससे पहले कि बड़े बैंक घोटालेबाज देश से भाग जायें, वे राज्य ऐसे करीब 100 लोगों को गिरफ्तारी में मदद करें, क्योंकि जब तक राज्यों में कार्यवाही करने के लिये सरकार की सामान्य सहमति/स्वीकृति नहीं होगी, तब तक सी.बी.आई. लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर पायेगी।

पी.एम.ओ. को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में, एजेंसी ने कहा है, ''बहुत बड़े बैंक फ्रॉड के करीब 100 ऐसे केस हैं, जो दर्ज नहीं किये जा सकते क्योंकि राज्यों ने, दिल्ली स्पेशल पुलिस ऐस्टाब्लिशमेंट एक्ट (जिसके तहत सी.बी.आई.) कार्यवाही करती हैं, के तहत विशिष्ट स्वीकृति देने से इंकार कर दिया है या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी स्वीकृतियाँ वापस ले ली गई हैं।''

उन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडू शामिल हैं, जहाँ गैर भाजपा सरकारों के कारण, बैंक-फर्जीवाड़ा की सी.बी.आई. द्वारा शुरू की गई जाँचें गति नहीं पकड़ सकीं। मुम्बई में ऐसे सर्वाधिक बैंक हैं तथा सी.बी.आई. वह बैंक फर्जीवाड़ों की जाँचों में तेजी नहीं ला पा रही है।

सी.बी.आई. के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने गुजरात के ए.बी.जी. शिपयार्ड के शीर्ष प्रबंधन को 2300 करोड़ रू. के कथित बैंक-फ्रॉड में ''लुकआउट सर्कुलर'' जारी कर दिया है ताकि कम्पनी के किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डों तथा सीमा पार करके देश से भाग जाने से रोका जा सके।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- सरकारों के इस रवैये के कारण, अपराधियों को मौका मिल जाता है, भारत से पलायन करने का।

नये कानून

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 फरवरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ मोटर साइकिल पर ले जाते समय, बच्चों की सुरक्षा के लिये मोटर वीकल एक्ट के तहत, नये नियम अधिसूचित कर दिये हैं।

15 फरवरी को जारी की गई अधिसूचना में उनके लिये सेफ्टी हार्नेस तथा क्रैश हैलसेट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है तथा मोटर साइकिल की गति अधिकतम 40 किमी/घंटा तक सीमित कर दी गई है। इसका मसौदा अक्टूबर 2021 में जनता की टिप्पणियों एवं सुझावों के जारी कर दिया गया था।

ये नियम सैन्ट्रल मोटर वीकल (दूसरा संशोधन) रूल्स 2022 कहा गया है तथा ये नियम गजट अधिसूचना के एक साल बाद लागू हो जायेंगे। 4 से

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- चार साल से कम उम्र के बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाने के लिये नये कानून बनेंगे।

कोविड की भांति आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा, विशेषकर सीमा पार से आने वाला आतंकवाद

जब भी भारत या पाकिस्तान के शासकों को ''सुविधाजनक'' लगता है, सीमा पार से आने वाला आतंकवाद खबरों में छाने लगता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 फरवरी। जैसे महामारी विशेषज्ञ कहते हैं कि कोविड-19 अब कमोबेश अब रहेगा ही, ठीक वैसे ही, आतंकवाद भी रहेगा, खासतौर से इसका सीमा-पार वाला वैरिएंट तो जाता दिखाई नहीं देता, बस कभी-कभी यह कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन यह नियमित रूप से अपना सिर उठाता रहता है या फिर जब भी भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इसे उभारना करना या जनता में इसकी चर्चा करना सुविधाजनक लगता है, यह अपना सिर उठा ही लेता है।

अब हमें इसका सामना करना है। भारत में चुनावों के लिये मतदान चल रहा है तथा पाकिस्तान का नेतृत्व अपनी खराब अर्थव्यवस्था एवं राजनैतिक प्रशासन की और से दबाव महसूस कर रहा है।

ये कारण सम्भवतः भारत और पाकिस्तान के बीच अनवरत चल रहे वाक् युद्ध समझा सकते हैं। दोनों ही देश इस समय एक-दूसरे पर पश्चिमी सीमा पर संकट को उकसाने एवं भड़काने के आरोप लगा रहे हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यूयॉर्क-स्थित ''काउन्टर टैररिज़्म कमेटी'' (सी.टी.सी.) को सूचित किया है कि पाकिस्तान पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन एवं वित्तीय मदद देने के लिये जिम्मेदार है। इधर पाकिस्तान ने सीमा-पार अफगानिस्तान से आ रहे आतंकवाद पर चिन्ता जताई है।

पाकिस्तान के दैनिक ''डॉन'' की रिपोर्ट कहती है कि यू.एन. मिशन में पाकिस्तान के वकील उमर सिद्दीकी ने यू.एन. की सुरक्षा परिषद में दी गई दलीलो में उन ''मास्टर माइन्ड्स'' को जिम्मेदार ठहराया, जो पाकिस्तान सीमा के अन्दर सीमा पर के आतंकी हमलों को समर्थन, प्रोत्साहन एवं पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आ रहे क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद का मुद्दा सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा इस सप्ताह के शुरू में यू.एन. के मंच का उपयोग करते हुये पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद उठाया।

भारत की पहल से न्यूयॉर्क में हुई यू.एन. की काउन्टर-टैररिज़्म कमेटी (सी.टी.सी.) की वार्षिक मीटिंग दक्षिण एशिया की इन दो परमाणु-ताकतों के बीच के वाक् युद्ध में बदल गई। जनवरी के बाद कमेटी की यह पहली मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की।

डॉन ने कहा कि पिछले सप्ताह पाक की सुरक्षा सेनाओं ने बलूचिस्तान के उनके शिविरों पर हुये दो हमले नाकाम किये थे। लड़ाई में, कम से कम 13 आतंकी मारे गये थे, जबकि पाकिस्तान के सात सैनिक तथा एक अधिकारी शहीद हो गये थे।

पिछले महीने, इसी प्रकार का एक हमला बलूचिस्तान के कैच नामक स्थान पर हुआ था जिसमें पाकिस्तान के 10 सैनिक शहीद हो गये थे।

इस सप्ताह के शुरू में, इन्टर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आई.एस.पी. आर.) ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान ने उन लोगों के बीच हो रहे संदेशों के आदान-प्रदान को पकड़ा, जिन्होंने बलूचिस्तान में हमले किये थे तथा जो लोग अफगानिस्तान और भारत से उन्हें निर्देश प्रदान कर रहे थे।

पाकिस्तान की कड़ी कूटनीतिक निन्दा करते हुये, भारत के प्रतिनिधि राजेश परिहार ने इस्लामाबाद पर दोषारोपण करते हुये कहा कि वह इस क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, परिहार ने अपने दावे की पुष्टि के लिये 2016 के पठान कोट हमले तथा 2019 के पुलवामा हमले का उल्लेख भी किया था। ऐसा ही अप्रत्यक्ष तरीका अपनाते हुये, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने यू.एन. की इस संस्था से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान में आतंकी हमले करने के लिये अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग न हो।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कमेटी-सदस्यों को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने एक से अधिक बार कि उनके देश में हुये आतंकी हमलों में बाहरी (भारतीय) लिप्तता के अकाट्य साक्ष्य यू.एन. सुरक्षा परिषद के साथ साझा किये हैं।

सिद्दीकी ने कहा, ''हम सब जानते हैं कि तहरीके-तालिबान पाकिस्तान (टी.टी.पी.) तथा जमात-उल-अहरार (जे.यू.ए.) जैसे आतंकी समूहों को समर्थन एवं पैसा कौन दे रहा है।''

पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने मूलभूत मानवाधिकारों, जैसे कश्मीर में आत्मनिर्णय के अधिकार के लिये होने वाला जायज संघर्ष को आतंकवाद से अलग देखने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, ''हमें तकनीकी निकायों की हाईजैकिंग की अनुमति भी

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- अभी भारत में चुनाव हैं तथा पाकिस्तान की सरकार इकोनॉमिक व राजनीतिक संकटों में घिरी हुई है, अतः दोनों देशों के बीच गर्मा-गर्म शब्दों का खुलकर उपयोग हो रहा है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत

उदयपुर, 16 फरवरी (कासं)। उदयपुर से डबोक जाने वाले मार्ग पर देबारी के समीप जिंक चौराहे पर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार देबारी जिंक चौराहे पर देर रात पास की पहाड़ियों से आया पैंथर सड़क पार अन्य पहाड़ी की ओर जा रहा था इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सुबह सड़क पर मृत पैंथर को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मृत पैंथर को सड़क से किनारे किया। इसके पश्चात मौके पर

- देबारी ज़िंक चौराहे पर देर रात पास की पहाड़ियों से पैंथर नीचे आकर सड़क पार दूसरी पहाड़ी की ओर जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया।